न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/538

1. बृजमोहन आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा ।
2. भीमराज आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा ।
3. श्रीमती कौशल्या पुत्री श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम नीमखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मंजू बाई पुत्री श्री पन्ना लाल पत्नी घनश्या मजी जाति मीणा निवासी ग्राम मोडक गॉव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. संतोष बाई पुत्री श्री पन्ना लाल जी पत्नी जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम लोढाखेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. द्रोपती बाई पुत्री पन्ना लाल जी पत्नी दिनेश जाति मीणा निवासी ग्राम जरगा तहसील खानपुर जिला झालावाड ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती द्रोपती उर्फ संजू पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री रेखराज जी जाति मीणा निवासी गागरोन रोड सलीम भाई सट्टेवाले के मकान के पास, झालावाड ।
2. श्रीमती मधु पुत्री श्री हीरालाल जी पत्नी श्री महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती लीला पुत्री श्री हीरालाल पत्नी श्री जितेन्द्र जी जाति मीणा निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. ममता पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती पन्सूरी बाई पुत्री स्व0 मोतीलाल पत्नी श्री सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम निपानिया तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
6. श्रीमती धापू बाई पुत्री स्व0 मोतीलाल पत्नी श्री महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. डालू आत्मज स्व0 श्री मूलचन्द जी जाति मीणा निवासी ग्रसम दीगाद तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. सुश्री अनिता पुत्री स्व0 श्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. श्रीमती कैलाश बाई विधवा पतनी स्व0 श्री मूलचन्द जी जाति मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्यालय तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. प्रेमनारायण आत्मज स्व0 श्री रामकरण जी जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. श्रीमती कान्ही बाई पुत्री स्व0 श्री रामकरण पत्नी श्री शम्भूलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. गोपाल आत्मज स्व0 श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. श्रीमती रामकंवरी बाई उर्फ रामकुंवरी विधवा पत्नी स्व0 श्री जगन्नाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी मृतक श्रीमती बादाम बाई जिसके कायममुकामान रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 हैं ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में बाद सेटलमेंट कुल 14 किता की 19.96 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रामचन्द्री बेवा भूरा जाति मीणा, देवलाल, रामकरण पिसरान माधो हिस्सा 3/4 में हिस्सा बराबर व गोपाल वल्द जगन्नाथ हिस्सा 1/4 दर्ज थी । इस प्रकार वादिनी के पिता देवलाल का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा था । वादी के पिता देवलाल का दिनांक 03.12.1983 को और वादिनी की माता श्रीमती रामचन्द्री का वर्ष 1986 में देहान्त हो गया था । पक्षकारान मीणा जाति के व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जनजाति में आती है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है जिसके अनुसार देव लाल की पुत्रियॉ होने से वादिनी प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उनकी पुत्रियॉ होने से उनकी संभाग के उत्तराधिकारी हैं । प्रतिवादी क्रम 1 श्रीमती काली बाई पुत्री का स्वर्गवास हो चुका है । देवलाल की शेष दो पुत्रियॉ वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 2 श्रीमती पारा बाई जीवित हैं जो संभाग से उनकी उत्तराधिकारी हैं । प्रतिवादी क्रम 1 श्रीमती काली बाई एवं उसके पति श्री पन्ना लाल ने देवलाल जी एवं श्रीमती रामचन्द्री बाई के पुत्री दामाद नजदीकी रिश्तेदार होने का फायदा उठाकर रामचन्द्रीबाई के खाते की उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते भू–प्रबन्ध विभाग से दर्ज करवा ली । भू–प्रबन्ध विभाग सेगैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही अपने नाम तन्हा खाते में दर्ज करवा ली । प्रतिवादी क्रम 1 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि को रहन, बेचान एंव अन्य प्रकार से अन्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को अपने पिता देवलाल जी के 1/4 हिस्से की भूमि में से प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्से अथवा वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का प्रत्येक का उक्त सम्पूर्ण भूमि में से 1/12 – 1/12 हिस्से की भूमि का सहखातेदार कृषक घोषित किया जावे । उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर उनके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादिनी को बाद विभाजन प्राप्त होने वाली भूमि 1/12 हिस्से में वादिनी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 699/2009 दिनांक 30.06.2016 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलान्ट को ना तो कोई नोटिस दिया और न ही कोई सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया और न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 30.06.2016 के आदेश को सेट–असाइड करने का कोई प्रार्थना पत्र ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के ध्येय से उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण में जैरकार थीं जिसमें साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसकी जिरह हेतु पेशी नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस नहीं दिये गये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना व जानकारी के उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04.09.2018 को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा पेश किया था जो दिनांक 30.01.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया । इसके उपरान्त बिना अपीलान्ट की जानकारी और बिना उनको नोटिस दिये इस दावे को दिनांक 16.06.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए और न ही किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन दावा डिक्री किया गया है जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो दावा पेश किया गया है वह विभाजन का दावा था जिसमें राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण का वाद दिनांक 30.06.2016 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया गया था । इसके उपरान्त इस दावे को पुनः नम्बर पर लेने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया ओर इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जो प्रक्रिया अपनायी गई है वह आपत्तिजनक है । दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरनवी में खारिज होने के उपरान्त विधिक रूप से उसको नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है और प्रतिवादीगण को नोटिस दिया जाना भी आवश्यक है । लोक अदालत की सूचना भी पक्षकारान को जरिये नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है । लोक अदालत में सभी पक्षकारों की उपस्थित होना भी अनिवार्य है और उभय पक्ष के उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करने पर लोक अदालत में निर्णय किया जाता है । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई वह त्रुटिपूण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा